(iii) ten other members, to be appointed by the Central Government.

(2) The Chairman shall be chosen from among persons who are not officers of the Central Government or of any State Government.

(3) Of the other members referred to in clause (iii) of sub-section (1)—

(a) two shall be chosen from among the officers of the Central Government, to represent that Government;

(b) not less than four shall be chosen from among persons who are, at the time when they are so chosen, teachers of Universities; and

(c) the remainder shall be chosen from among persons—

(i) who have knowledge of, or experience in agriculture, commerce, forestry or industry;

(ii) who are members of the engineering, legal, medical or any other learned profession; or

(iii) who are Vice-Chancellors of Unviersities or who, not being teachers of Universities, are in the opinion of the Central Government, educationists of repute or have obtained high academic distinctions:

Provided that not less than one-half of the number chosen under this clause shall be from among persons who are not officers of the Central Government or of any State Government.

The Government has re-constituted the University Grants Commission from time to time following the above provisions in the UGC Act.

नवोदय विद्यालयों में अव्यवस्था

3890. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवोदय विद्यालयों में खाने-पीने और रहने की अव्यवस्था के कारण शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान विद्यालयवार कितने अभिभावकों ने अपने बच्चों के स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिए थे; और

(ख) क्या सरकार ने छात्रों द्वारा नवोदय विद्यालयों से स्थानान्तरण मांगे जाने संबंधी कारणों की कोई जांच कराई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) नवोदय विद्यालयों में खाने-पीने और रहने की व्यवस्था संबंधी सुविधाओं का निरीक्षण और अनुश्रवण (मॉनीटरिंग), क्षेत्रीय कार्यालयों के उपनिदेशक और नवोदय विद्यालय समिति (मुख्यालय) के अधिकारियों द्वारा, समय-समय पर उनके दौरों के दौरान किया जाता है। खाने-पीने और रहने की अव्यवस्था को, छात्रों/अभिभावकों द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेने हेतु, एक पर्याप्त आधार के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सुविधाएं, संतोषजनक मानी गई हैं। नवोदय विद्यालय समिति का सतत प्रयास, उपलब्ध संसाधनों से छात्रों के लिए सुविधाओं में सुधार करना रहा है।

(ख) जी, नहीं

शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश

3891. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति और उनके वेतनमानों के संबंध में क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कौन-कौन से राज्य इस नीति का पालन नहीं कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षकों के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। अलग-अलग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की स्कूल प्रणाली में विद्यमान वेतनों